

राजस्थान सरकार

राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक:प09(112)राज-6 / 2012 / 3

दिनांक

11.1.2013

अधिसूचना

राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956(राजस्थान अधिनियम, संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उपधारा (1)सपठित धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत गलतियों का शुद्धिकरण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान -2013 के लिए नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा प्रदत्त की जाती है।

यह अधिसूचना दिनांक 10.1.2013 से दिनांक 28.2.2013 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

(लेखराज तोप्पावडा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 11.1.2013 में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0 जयपुर।
12. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. अतिरिक्त निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर (वित्त एवं लेखा)
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव